संपादकीय

प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसर बनाए भारत

पूरी दुनिया को टैरिफ युद्ध की चेतावनी देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब इसे हकीकत बना दिया है। तमाम विकासशील व विकसित देशों के साथ भारत भी इसकी जद में आया है। मौके की नजाकत को समझते हुए भारत ने हालात से समझौता करने का निर्णय किया है। कमोबेश, इसके तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ के मुकाबले लगाए गए टैरिफ को स्वीकार कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा ने अपने-अपने देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिये जवाबी कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत के लिये अच्छी बात यह है कि हमारे मुख्य प्रतिस्पर्धी- चीन, वियतनाम,बांग्लादेश और थाईलैंड पर हम से कहीं अधिक शुल्क लगाया गया है। नई दिल्ली को यह भी उम्मीद है कि वाशिंगटन के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम चल रहा है, जिसके जरिये घरेलू उद्योग को टैरिफ वृद्धि के दुष्प्रभावों से निपटने में मदद मिल सकती है। वैसे देखा जाए तो भारत के लिये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक अवसर मौजूद हैं। इस दौरान भारत को व्यापार करने में आसानी बढ़ाने तथा लाभांश प्राप्त करने के लिये अपने बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। इससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी बल मिलेगा। ध्यान रहे कि ऐसा ही अवसर भारत के सामने तब भी आया था जब कोविड-19 महामारी के चलते चीन के उत्पादन की रफ्तार धीमी हो गई थी। चीन ने ऐसा कदम लंबे समय से चली आ रही जीरो टॉलरेंस की कोविड नीति के चलते उठाया था। जिसके चलते अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को विकल्प तलाशने के लिये प्रेरित किया था। लेकिन भारत इसके बावजूद हालात का ज्यादा लाभ नहीं उठा पाया था। विडंबना ये रही कि वियतनाम और थाईलैंड वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों का अधिकतम लाभ उठाने में भारत से आगे निकल गए। अतीत से सबक लेकर भारत को नई स्थितियों का लाभ उठाने के लिये बेहतर ढंग से तैयार रहना चाहिए। वैसे इन हालात में बहुत कुछ भारत की तुलना में ट्रंप के टैरिफ से अधिक प्रभावित देशों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। इन स्थितियों में एक चिंताजनक संभावना यह भी है कि चीन और वियतनाम जैसे देश पहले से ही अमेरिका के लिये निर्धारित अपने निर्यात को भारत में भेजने की कोशिश कर सकते हैं। जिसमें कम लागत वाले सामानों के जरिये भारतीय बाजारों को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। भारतीय बाजार तो पहले ही चीन के सस्ते उत्पादों से पटे पड़े हैं। जिससे दोनों देशों में व्यापार असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023-24 के वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच व्यापार में हमारा घाटा 85 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है।

विनोद शर्मा, संपादक

चीन के खिलाफ भारत की आंख और कान बनेगा श्रीलंका

अभिनय आकाश

> खासकर तमिल इलाकों में भारत सरकार के सहयोग से योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन भारत के पैरों तले जमीन धीरे धीरे खिसकने लगी थी। श्रीलंका चीन की तरफ होता जा रहा था। लेकिन अब हिंद महासागर में अपनी सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए भारत न सिर्फ अपनी नौसेना बल्कि अपनी सामरिक शक्ति को मजबूत करने में पूरी तरह से जुट गया है। नौसेना को हथियारों से लैस करने से लेकर समुद्र में अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए अपने साझेदारों के साथ मिलकर भारत आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ समय में चीन ने श्रीलंका को लेकर हिंद महासागर में काफी हरकतें करने की कोशिश की हैं। चाहे वो जासूसी जहाज की मदद से हो या फिर व्यापार के नाम पर श्रीलंका तक अपनी पहुंच को बढ़ाने का जरिया मात्र। लेकिन भारत और श्रीलंका के संबंध कितने पक्के हैं इसका अंदाजा अब चीन को जल्द हो जाएगा।

भारत और श्रीलंका मिलकर एक ऐसा रक्षा समझौता करने वाले हैं, जो अब तक कभी नहीं हुआ। एक ऐसा समझौता जो भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ ही समुद्र में भारत की शक्ति को और मजबूत करेगा। श्रीलंका से भारत के संबंध इतने गहरे क्यों हैं, इसे समझने के लिए अलग से एक पूरा एमआरआई स्कैन करना पड़ेगा। लेकिन संक्षेप में कहे तो श्रीलंका भारत से बिल्कुल सटा है। सदियों से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध हैं। जब भारत और श्रीलंका दोनों अंग्रेजों के गुलाम थे तो भारत से तमिल समुदाय के लोग श्रीलंका में जाकर बसे। आधुनिक समय में इन्हीं तमिल समुदाय के लोगों के चलते श्रीलंका का भविष्य भारत के साथ नत्थी हुआ। तमिल समस्या को लेकर भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। इसी शांति सेना के डर से एलटीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी। आज भी तमिलनाडु में हजारों श्रीलंकन तमिल शरणार्थी रहते हैं। 2007 के बाद जब श्रीलंका की सेना ने उग्रवादियों के खिलाफ अभियान तेज किया तब भारत ने श्रीलंका की मदद की और लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची। इसके बाद से भारत लगातार श्रीलंका की मदद करता आया है। खासकर तमिल इलाकों में भारत सरकार के सहयोग से योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन भारत के पैरों तले जमीन धीरे धीरे खिसकने लगी थी। श्रीलंका चीन की तरफ होता जा रहा था। लेकिन अब हिंद महासागर में अपनी सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए भारत न सिर्फ अपनी नौसेना बल्कि अपनी सामरिक शक्ति को मजबूत करने में पूरी तरह से जुट गया है। नौसेना को हथियारों से लैस करने से लेकर समुद्र में अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए अपने साझेदारों के साथ मिलकर भारत आगे बढ़ रहा है। भारत एक ऐसा कदम श्रीलंका के साथ मिलकर भी उठाने वाला है। भारत और श्रीलंका मिलकर एक ऐसा रक्षा समझौता करने वाले हैं, जो अब तक कभी नहीं हुआ। एक ऐसा समझौता जो भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ ही समुद्र में भारत की शक्ति को और मजबूत करेगा। भारत और श्रीलंका के बीच एक ऐसा अहम रक्षा समझौता होने जा रहा है, जिसका इंतजार भारत को लंबे समय से था। हिंद महासागर में अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करने में जुटे भारत के लिए इसकी तैयारी अंतिम दौर में है। जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे के दौरान ही फाइनल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बैंकॉक में हैं। वो बिम्सटेक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए थाइलैंड के दौरे पर गए है। वहां से पीएम मोदी 4 अप्रैल यानी शुक्रवार की रात आठ बजे कोलंबो पहुंचेंगे और वह कोलंबो के ताज समुद्र होटल में रुकेंगे, जहां उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी 6 अप्रैल तक श्रीलंका में होंगे। भारत अपने पड़ोसी देशों को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस मुलाकात से लगा सकते हैं। लेकिन इस बार सौदा रक्षा क्षेत्र को लेकर होना है। पीएम मोदी की इस यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि रक्षा सहयोग पर समझौता संभावित है। ये दोनों देशों के बीच इस तरह का पहला समझौता होगा। इस बयान से ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये पहला और सबसे ऐतिहासिक समझौता होगा जो दोनों देशों के हितों को साधने के लिए सबसे कारगर साबित होगा। अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये समझौता किस स्तर पर और किस चीज से जुड़ा हुआ होगा। पिछले साल राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके (एकेडी) के सत्ता संभालने के बाद यह उनकी पहली यात्रा होगी। पीएम मोदी राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर श्रीलंका जा रहे हैं। पिछले साल ही दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। फिर वो भारत आए और भारत में दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने को लेकर बात हुई। बड़ी बात ये है कि चार महीनों के भीतर ये दोनों देशों के बीच दूसरी बड़ी मीटिंग रहने वाली है। श्रीलंका भारत की दक्षिणी सीमा पर समुद्री रणनीति का मुख्य आधार है। भारत के एजेंडे में ऊर्जा सहयोग भी एक मुख्य विषय होगा। प्रधानमंत्री मोदी त्रिंकोमाली में सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। भारत के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और श्रीलंका के सीलोन विद्युत बोर्ड के बीच 120 मेगावाट का यह संयुक्त उद्यम न केवल श्रीलंका की ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करता है, बल्कि भारत को इसके हरित परिवर्तन में एक पसंदीदा भागीदार के रूप में भी स्थापित करता है। इसका अंतिम लक्ष्य व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी और एक बहु-उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करना है। प्रधानमंत्री मोदी अनुराधापुरा भी जाएंगे, जहां भारत विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इस प्रकार भारत श्रीलंका के प्राथमिक और अपरिहार्य विकास भागीदार के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि करना चाहेगा। तमिलनाडु के मछुआरों की समस्या जो श्रीलंकाई जलक्षेत्र में भटक जाते हैं, वह लंबे समय से चली आ रही है। भारत को इस बात का आश्वासन चाहिए कि उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने जैसे व्यवहार्य समाधान पर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। चर्चाओं में त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म भी शामिल हो सकता है। टैंकों के प्रबंधन के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए बातचीत चल रही है। इसका उद्देश्य मौजूदा सुविधाओं को उन्नत करना, कच्चे तेल को परिष्कृत करना और इसे वैश्विक बाजार के लिए संग्रहीत करना है, जिसका उद्देश्य श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाना है।भारत और श्रीलंका को आपसी और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में पूरी तरह एकमत होना चाहिए। अपनी यात्रा के दौरान दिसानायके ने आश्वासन दिया कि श्रीलंका अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए किसी भी तरह से हानिकारक तरीके से नहीं होने देगा, यह एक गंभीर प्रतिबद्धता है जिसका भारत स्वागत करता है और इसे गंभीरता से लेता है। यह दोनों पड़ोसियों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगा। इस खबर के आने के बाद चीन के कान खड़े हो गए हैं।

भारत कोई धर्मशाला नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ ऐतिहासिक कदम

मृत्युंजय दीक्षित

नये कानून के अनुसार किसी भी विदेशी को बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेजों के भारत आने पर 7 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। गलत जानकारी देने या दस्तावेजों में गड़बड़ी करने पर 3 साल की जेल और 3 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संसद के बजट सत्र- 2025 में बजट के अतिरिक्त भी कई ऐतिहासिक विधेयक पारित हुए हें जिनमें से एक है आब्रजन और विदेशियों विषयक विधेयक-2025। यह विधेयक भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने वाला तो है ही साथ ही भारत की आंतरिक व वाह्य सुरक्षा तंत्र और आर्थिक तंत्र को भी मजबूत बनाने वाला भी है। जब यह विधेयक अधिसूचित होकर पूरे भारत में लागू हो जायेगा तब बांग्लादेशी व रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ सहित अनेक प्रकार के अपराधों पर भी लगाम लग सकेगी। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद कोई भी विदेशी नागरिक पहले की तरह भारत में घुस कर, भारत के किसी भी हिस्से में जाकर निवास करते हुए भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं हो पाएगा। अब सीमा पार करने वाले हर व्यक्ति का पूरा डाटा एकत्र किया जायेगा। अभी भारत आने वाले विदेशी नागरिकों का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। यह विधेयक भारत की एकता, अखंडता तथा सुरक्षा के लिए अतयंत महत्वपूर्ण है। इस बिल के लागू हो जाने के बाद अवैध रोहिंग्या/बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोकथाम ही नहीं लगेगी अपितु ऐसे अराजक तत्व जो समाज में घुल मिलकर छोटे मोटे अपराधों में संलिप्त हो रहे हैं तथा समाज का वातावरण प्रदूषित करते हुए लवजिहाद व धर्मान्तरण जैसी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं उनसे भी निपटा जा सकेगा। इस विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा के दौरान स्पष्ट हुआ कि भारत में अवैध घुसपैठ की समस्या कितना विकराल रूप ले चुकी है। भारत के सभी मेट्रो शहर अवैध अराजक तत्वों के निशाने पर हैं। भारत के अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रों तथा समस्त पूर्वी राज्यों जिनमें असम और पश्चिम बंगाल प्रमुख हैं में यह समस्या नासूर बन चुकी है। पश्चिम बंगाल के तीन सीमावर्ती जिलों की डेमेग्राफी अवैध घुसपैठ के कारण बदल चुकी है। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने जब सदन में बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठ की सबसे अधिक समस्या कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक, झारखंड, तेलंगना तथा तृणमूल कांग्रेस शासित राज्य पश्चिम बंगाल में है क्योंकि यहां की राज्य सरकारें सहयोग नहीं कर रही हैं तब विपक्षी दलो ने हंगामा करते हुए सदन का बहिष्कार कर दिया। गृहराज्य मंत्री ने अवगत कराया कि बंगाल सरकार सीमा पर बाड़ नहीं लगाने दे रही है साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीमा पर टीएमसी के कार्यकर्ता ही बीएसएफ के कार्यों में बाधा डालने का काम कर रहे हैं जिसके कारण बांग्लादेशी घुसपैठ पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। लोकसभा में बहस के दौरान ही गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि भारत कोई धर्मशाला नहीं हैं। विधेयक पर बहस के दौरान घुसपैठ व शरणार्थी शब्द को स्पष्ट किया गया क्योंकि विपक्षी दलों के सांसद तुष्टिकरण की विकृत राजनीति के कारण इन दोनों शब्दों का घालमेल कर रहे थे। ये विपक्षी सांसद इस विधयेक को वसुधैव कुटुंबकम की भवना से परे बताकर भ्रम व अराजकता की राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे किंतु सरकार ने अपने तर्कों से विपक्ष को बेनकाब कर दिया जिसके परिणामस्वरूप वे राज्यसभा में हंगामा करते हुए सदन से बाहर चले गये। इस नये कानून में विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 तथा विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 और आब्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम 2000 को निरस्त करते हुए एक नया व्यापक कानून बनाने की आवयकता की पहचान करते हुए नया आब्रजन और विदेशी विधेयक 2025 लाया गया है। नये कानून का एक उद्देश्य यह भी है कि कानूनों की बहुलता और अतिव्यापन से बचा जाये तथा विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित किया जाए, जिसमें वीजा की आवश्यकता, पंजीकरण और अन्य यात्रा संबंधी दस्तावेज (पासपोर्ट) आदि शामिल है। इस नये कानून के माध्यम से भारत में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले सभी लोगों के लिए सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। नये कानून के अनुसार किसी भी विदेशी को बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेजों के भारत आने पर 7 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। गलत जानकारी देने या दस्तावेजों में गड़बड़ी करने पर 3 साल की जेल और 3 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

दोनों सदनों से पास हो गया वक्फ संशोधन बिल लेकिन विवाद अभी थमने वाला नहीं है

संतोष कुमार पाठक

देश के उच्च सदन राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल- 2025 पर गुरुवार, 3 अप्रैल को चर्चा शुरू हुई। सदन के अंदर सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के सांसदों ने 12 घंटे से भी अधिक समय तक इस बिल पर जोरदार चर्चा की। वक्फ संशोधन बिल- 2025 संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है। दोनों सदनों ने इस विधेयक पर मैराथन चर्चा कर, आधी रात के बाद इसे पारित कर एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। देश के उच्च सदन राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल- 2025 पर गुरुवार, 3 अप्रैल को चर्चा शुरू हुई। सदन के अंदर सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के सांसदों ने 12 घंटे से भी अधिक समय तक इस बिल पर जोरदार चर्चा की। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों ने इस बिल को समय की मांग बताते हुए पारित करने में विपक्षी दलों से सहयोग मांगा। लेकिन विपक्षी दलों ने इस बिल को असंवैधानिक बताते हुए इसका पुरजोर विरोध किया। आधी रात के बाद यानी शुक्रवार, 4 अप्रैल को देर रात 2 बजे के बाद सदन में इस पर वोटिंग शुरू हुई। राज्यसभा ने देर रात 2:32 बजे वक्फ संशोधन बिल- 2025 को पारित कर दिया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार के उद्देश्य से लाए गए बिल के पक्ष में राज्यसभा में 128 सांसदों ने वोट किया,जबकि 95 सांसदों ने इसके खिलाफ अपना मत दिया। राज्यसभा में इस बिल के समर्थन में 128 सांसदों का समर्थन हासिल करना बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। बिल के खिलाफ देशभर में बनाए गए माहौल और विपक्षी दलों की एकजुटता के बावजूद बीजेपी इस बिल पर एनडीए गठबंधन के इतर जाकर अन्य विपक्षी सांसदों का समर्थन हासिल करने में भी कामयाब रही। राज्यसभा से पारित होने से एक दिन पहले गुरुवार, 3 अप्रैल को आधी रात के बाद लोकसभा ने भी इस बिल को पारित कर दिया था। लोकसभा में 288 सांसदों ने मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस बिल का समर्थन किया था जबकि 232 सांसदों ने बिल के खिलाफ मतदान किया था। वक्फ संशोधन बिल- 2025 अब कानून बनने से महज एक कदम दूर रह गया है। संवैधानिक तौर पर, संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद इस बिल को अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन बिल- 2025 औपचारिक रूप से कानून के तौर पर लागू हो जाएगा। हालांकि, यह भी एक सच्चाई है कि दोनों सदनों से पारित हो जाने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बावजूद इस बिल को लेकर जारी विवाद अभी थमने वाला नहीं है। दोनों सदनों में चर्चा के दौरान, बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को मिला। सरकार ने इस बिल को समय की मांग और मुस्लिमों के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा कि पारदर्शिता और सुशासन के लिए इसे लागू करना बहुत जरूरी है। वहीं विपक्षी दलों ने इसे मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करार देते हुए इसे अल्पसंख्यक विरोधी विधेयक तक बता डाला। सदन में सरकार से हार जाने के बाद अब बिल के विरोधी सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने इस बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाने का ऐलान पहले ही कर दिया है।अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति करने वाले कई राजनीतिक दल भी इस आंदोलन का समर्थन कर, इसे बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं विपक्षी सांसदों सहित कई संगठन इस बिल को संविधान विरोधी बताते हुए अदालत जाने की भी तैयारी में भी जुट गए हैं। शरद पवार की पार्टी की राज्यसभा सांसद फौजिया खान ने बिल के पारित होने के बाद कहा कि इसका विरोध जारी रहेगा, वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है, यह असंवैधानिक बिल है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर देगा। वहीं डीएमके सुप्रीमो और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस बिल को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा कर रखी है। मुस्लिम वोटरों पर नजरें गड़ाए बैठे अन्य विपक्षी राजनीतिक दल भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए यह तय मान कर चलिए कि संसद के दोनों सदनों से बहुमत के आधार पर पास हो जाने के बावजूद भी, इस बिल पर जारी विवाद अभी थमने वाला नहीं है।

ज्ञान गंगा: त्रिशूल लेने की परंपरा भगवान शंकर के द्वारा ही प्रारम्भ हुई

सुखी भारती

दैहिक ताप वे होते हैं, जो देह से मानव को सताते हैं। जैसे बुखार अथवा चोट लगना इत्यादि। दैविक तापों में वे ताप होते हैं, जो अदृश्य शक्तियों के प्रभाव से आते हैं, जैसे किसी को श्राप, जादू टोना इत्यादि लग जाना। इसके पश्चात भौतिक ताप उसे कहा गया है, जो ताप भूकंप, बाढ़ अथवा बारिश इत्यादि से आते हैं। भगवान शंकर के एक हाथ में त्रिशूल व डमरु है। हालाँकि सनातन धर्म में अनेकों ही देवी देवता हैं, जिनके हाथों में, कोई न कोई शस्त्र अवश्य होता है। किंतु त्रिशूल लेने की परंपरा भगवान शंकर के द्वारा ही प्रारम्भ हुई। वे हाथ में तलवार अथवा धनुष बाण भी ले सकते थे। कारण कि धनुष बाण उनके आराध्य देव, श्रीराम जी का शस्त्र भी है। किंतु उनके द्वारा धारण किया गया शस्त्र 'त्रिशूल' अपने आप में अनेकों भेद छुपाये हुए है। त्रिशूल शब्द का अर्थ होता है तीन प्रकार के शूल। शूल अर्थात ताप, दुख या कष्ट। संसार में तीन प्रकार के कष्ट होते हैं-दैविक, दैहिक व भौतिक। यह तीनों प्रकार के कष्टों से ही समस्त संसार पीड़ित है। दैहिक ताप वे होते हैं, जो देह से मानव को सताते हैं। जैसे बुखार अथवा चोट लगना इत्यादि। दैविक तापों में वे ताप होते हैं, जो अदृश्य शक्तियों के प्रभाव से आते हैं, जैसे किसी को श्राप, जादू टोना इत्यादि लग जाना। इसके पश्चात भौतिक ताप उसे कहा गया है, जो ताप भूकंप, बाढ़ अथवा बारिश इत्यादि से आते हैं। कोई भी जीव इन तापों से बच नहीं पाता है। किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं- इन तीनों तापों से अगर बचना है, तो उसे राम राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। एक ऐसा राज्य जहाँ सर्वत्र श्रीराम जी का सिद्धाँत चले। अर्थात राम राज्य में प्रत्येक जन भक्ति में लीन होकर, केवल श्रीराम जी के रंग में ही रंगा रहता है। भगवान शंकर अपने आथ में त्रिशूल लेकर, यही संदेश देना चाहते हैं, कि सदैव प्रभु की भक्ति में लीन रहना ही जीवन की सार्थकता है। अन्यथा तीपों तापों का प्रभाव केवल मानव जन्म में ही नहीं, अपितु चौरासी लाख योनियों की प्रत्येक योनि में भी बना रहेगा। भगवान शंकर ने एक हाथ में डमरु भी ले रखा है। विचारणीय पहलू है, कि डमरु का कार्य तो मदारी के पास होता है। क्योंकि बंदर

का खेल दिखाने के लिए, वह डमरु की डुगडुगी पर ही लोगों को एकत्र करता है। डमरु ही वह यंत्र है, जिसपे मदारी बंदर को नचाता है। क्या आपने सोचा है, कि बंदर किस पक्ष को प्रभाषित करता है? बंदर वास्तव में चंचल मन का प्रतीक है। जिसका मन चंचल है, वह कभी भी शाँति को प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी समस्त शक्तियाँ विघटन की ओर उन्मुख रहती हैं। वह सदा नीचे ही गिरता जाता है। चंचल मन के स्वामी को संसार में सदा अपयश ही प्राप्त होता है। किंतु यहाँ भगवान शंकर हाथ में पकड़े, कौन से डमरु के माध्यम से, कौन सा बंदर वश में करने का संकेत कर रहे हैं। डमरु वास्तव में अनहद नाद का प्रतीक है। जिसे हम ब्रह्म नाद भी कहते हैं। गुरु कृपा से जब हमारे भीतरी जगत में, ईश्वर का संगीत प्रगट होता है, तो मन उसी संगीत को श्रवण करने से वश में आता है। वह नाद इन बाहरी कानों से नहीं सुना जाता। अपितु इन कानों के बिना ही उसे सुना जाता है। उस ब्रह्म नाद में डमरु के सिवा अन्य वाद्य यंत्र भी सुनाई दे सकते हैं, जैसे वीणा, सारंगी, शंख इत्यादि। यही कारण है, कि भगवान शंकर अपने हाथ में मन रुपी बंदर को वश में करने के लिए डमरु रखते हैं।

स्वामी, भाग्यमीडिया पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए प्रकाशक, मुद्रक राजेश शर्मा द्वारा एन.व्ही.आर. पब्लिकेशन हाउस S-99/33 नीलबड़ रोड भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित कर, एफ- 12 द्वितीय तल गोयल निकेत एमपी नगर जोन-1 भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित पिन-462011, संपादक : विनोद शर्मा, फोन नं. 0755-4512708 *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार सभी मामलों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा। RNI No.- MPHIN/2016/68059 E-mail - peoplespravakta@gmail.com